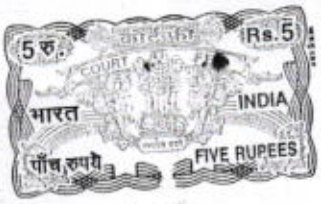

5 रु. न्यायालय शुल्क Rs.5 COURT FEE भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

5 रु. न्यायालय शुल्क Rs.5 COURT FEE भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

34

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक:- / 2/2010/भिण्ड

रिव्यू 545/II/10

1. सेवाराम पुत्र देवप्रसाद

2. गनेश कुमार पुत्र सेवाराम निवासी- ग्राम बरहा तहसील लहार जिला भिण्ड म.प्र.

--- आवेदकगण

श्री राम सेवक (अभि.) द्वारा आज दि. 23-4-10 को प्रस्तुत।

अवर सचिव
राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर

बनाम

1. विजया देवी पत्नी स्व. विष्णूशरण उर्फ विष्णूदेव

2. सत्येश कुमार पुत्र स्व. विष्णूशरण

3. बबीता पुत्री स्व. विष्णूशरण

4. सुषमा पुत्री स्व. विष्णूशरण

5. लीला उर्फ नीलम पुत्री विष्णूशरण

6. सूरज प्रसाद पुत्र स्व. रामगोपाल

7. हरसेवक पुत्र रामगोपाल

8. मुसम्मात राम श्री पत्नी रामगोपाल निवासी ग्राम बरहा

9. लालता प्रसाद पुत्र रामसिया निवासी- ग्राम बरहा तहसील लहार जिला भिंड म.प्र.

------ अनावेदकगण

पुनर्विलोकन आवेदन अंतर्गत धारा 51 म.प्र.भू.रा.सं. 1959 विरुद्ध आदेश दिनांक 22.3.2010 द्वारा पारित न्यायालय राजस्व

राजस्व मण्डल म॰प्र॰ ग्वालियर माननीय सदस्य श्री विनय शुक्ला के निर्णय के प्रकरण क्रमांक-22 06-दो/2006 /भिण्ड से दुखी होकर।

श्रीमान जी,

निवेदन निम्नप्रकार है :-

1- यहकि, वाके मौजा बरहा तहसील लहार जिला भिण्ड स्थित सर्वे नंबर 499,509 के बीच एक कूल (पानी की नाली) स्थित है। यह कूल रूढ़िगत है। जिसे अनावेदकगण द्वारा आवेदक को पानी लेने से रोककर उसे नष्ट भ्रष्ट किया। जिसमें आवेदक द्वारा तहसीलदार लहार के समक्ष एक आवेदन धारा 131 म॰प्र॰भू॰रा॰सं॰1959 के तहत प्रस्तुत किया जिसमें तहसीलदार लहार द्वारा अनावेदकगणों को नोटिस जारी किये। तत्पश्चात कूल का अवरोध हटाने का आदेश दिया। अनावेदकगण द्वारा तहसील न्यायालय में आपत्ति प्रस्तुत कीगयी कि प्रकरण संचालन योग्य नहीं है इस कारण निरस्त किया जावे। जो निरस्त किया गया जिसकी अपील अनुभागीय अधिकारी लहार के समक्ष प्रस्तुत कीगयी जो निरस्त की गयी। द्वितीय अपील माननीय अपर आयुक्त चंबल संभाग के समक्ष प्रस्तुत की जो दिनांक 24.10.2002 को प्रकरण सुनवाई हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रत्यावर्तित किया।

यह कि माननीय अपर आयुक्त के आदेश के पालन में तहसील न्यायालय द्वारा पुन: नोटिस जारी कर उभयपक्षों को सुनवाई का अवसर देकर [illegible] प्रकरण निरस्त किया।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण क्रमांक रिव्यु 545–एक/2010 जिला–भिण्ड

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
6–12–16	आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री रामसेवक शर्मा उपस्थित। अनावेदक की ओर से अभिभाषक श्री एस0के0 अवस्थी उपस्थित। 2/ आवेदक के अधिवक्ता द्वारा वही तर्क दोहराये गये है जो निगरानी मेमों में है । अतः उसे दुबारा दोहराने की आवश्यकता नहीं है । 3/ आवेदक के अधिवक्ता द्वारा न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर के प्रकरण क्रमांक 2206–दो/2006 में पारित आदेश दिनांक 22–03–2010 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 (आगे जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 51 के अंतर्गत पुर्नविलोकन प्रस्तुत की गई है। 4/ उभयपक्ष के अधिवक्ताओं के तर्क श्रवण किये गये तथा न्यायालय राजस्व मंडल के अभिलेख का अवलोकन किया गया । अवलोकन करने पर पाया गया कि न्यायालय तहसीलदार के अभिलेख पृष्ठ 201–202 पर अपर आयुक्त के प्रकरण क्रमांक अपील 159/2001–02 में पारित आदेश दिनांक 24.10.2002 की प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध है। अपर आयुक्त ने अपने आदेश दिनांक 24.10.2002 में यह निष्कर्ष निकाला है कि संलग्न पंचनामा थाना प्रभारी के प्रतिवेदन, सहायक यंत्री जल संधारण(एस0डी0ओ0) लहार के	

लहार के प्रतिवेदन से यह प्रमाणित है कि वाद रूढ़िगत जल सरणी से संबंधित है जो धारा 131 की परिधि में माना जाना चाहिये । उन्होंने प्रकरण दोनों को सुनवायी के पश्चात आदेश पारित करने हेतु प्रकरण तहसील न्यायालय को प्रत्यावर्तित किया । तहसीलदार ने उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर देने के बाद ही अपने आदेश दिनांक 05.08.04 में यह निष्कर्ष निकाला है कि सर्वे नं0 499 एवं 509 के मध्य से जब निकास हेतु गूल(बरहा) रूढ़िगत होना सिद्ध है। अतः तहसीलदार द्वारा सिंचाई हेतु रूढ़िगत गूल से पानी लेने में व्यवधान पैदा नहीं किये जाने के आदेश दिये है। तहसीलदार द्वारा इसका इन्द्राज रूढ़ि पत्रक में भी करने के निर्देश पटवारी को दिये हैं। तहसीलदार का गूल से पानी लेने में अवरोध उत्पन्न नहीं करने संबंधी आदेश संहिता की धारा 131 के अन्तर्गत आता है, जिसमें हस्तक्षेप करने का पर्याप्त आधार नहीं है, किन्तु तहसीलदार द्वारा इसका इन्द्राज रूढ़िपत्रक में करने के आदेश दिये गये है। वाजिब–उल–अर्ज संहिता की धारा 242 के अन्तर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा तैयार किये जाते है। धारा 242 की उपधारा (5) में यह प्रावधान है कि– 242(5) अनुविभागीय अधिकारी उसमें हितबद्ध किसी व्यक्ति के आवेदन पर या स्वप्रेरणा से निम्नलिखित किन्हीं भी आधारों पर वाजिब–उल–अर्ज में किसी प्रविष्टी को उपांतरित कर सकेगा या उसमें कोई नवीन प्रविष्टी अंतःस्थापित कर सकेगा । उक्त प्रावधान से स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा हितबद्ध पक्षकार आवेदक या स्वमेव वाजिब–उल–अर्ज में नवीन प्रविष्टि की जा सकती है। संहिता की धारा

की जा सकती है। संहिता की धारा 242 के अन्तर्गत तहसीलदार को रूढ़िपत्रक (वाजिब–उल–अर्ज) में प्रविष्टि करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। ऐसी दशा में तहसीलदार द्वारा गूल (बरहा) का इन्द्राज रूढ़ि पत्रक (वाजिब–उल–अर्ज) में करने के आदेश देने क्षेत्राधिकार रहित है। अपीलीय न्यायालयों द्वारा भी उक्त वैधानिक स्थिति में विचार किये बिना तहसीलदार के आदेश को स्थिर रखने में त्रुटि की है। अधीनस्थ अपर आयुक्त न्यायालय ने भी इन बिन्दुओं पर विचार न कर जो आदेश पारित किया है वह भी उचित एवं वैधानिक नहीं कहा जा सकता । इसी आधार पर न्यायालय राजस्व मण्डल, ग्वालियर द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों को निरस्त किया है। न्यायालय राजस्व मण्डल, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.03.2010 में कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं होती ।

5/ उपरोक्त विवेचना के परिप्रेक्ष्य में न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 22–03–2010 विधिनुकूल होने से यथावत रखा जाता है तथा आवेदकगण के द्वारा प्रस्तुत पुर्नविलोकन का आवेदन सारहीन एवं बलहीन होने से, खारिज की जाती है ।

(एम0के0 सिंह)
सदस्य